## BAPUR POLICE



## प्रेस नोट

थाना - बहादुरगढ

दिनांक 11.04.2025

थाना बहादुरगढ पुलिस ने जंगल ग्राम रझेटी में आवारा पशुओं को खेत में घुसाने का विरोध करने पर फायरिंग करने की घटना में नामजद/वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 78/25 धारा 352, 109, 351(2)(3), 3(5) बीएनएस में नामजद/वांछित एक अभियुक्त को ग्राम सनौली की मढैया वाले मोड पर शनि मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मनोज पुत्र समन्दर सिहं निवासी सलौनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 49/2017 धारा 147, 353 भादवि व 3 सार्वजनिक निवारण अधि0 थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

2. मु0अ0स0 95/2021 धारा 188, 269 भादवि 3/4 महामारी अधि0 थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ 3. मु0अ0स0 78/25 धारा 352, 109, 351(2)(3), 3(5) बीएनएस थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री सुमन्त दूबे थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
- 2. हे0का0 308 गजेन्द्र शर्मा थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
- 3. है0का0 251 मुकेश थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
- 4. का0 925 रजत शर्मा थाना बहाँदुरगढ़ जनपद हापुड़।